न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. सूरजमल पिता पोखर जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सोसी बाई बेवा प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भगवानलाल पिता प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. दलीचन्द पिता प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती गोपी पुत्री प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कानसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री अमरसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. सुश्री पूजा कंवर पुत्री भेरूसिंह जी राजपूत, नाबालिग जरिये संरक्षक/वाद मित्र माता श्रीमती पप्पू कंवर बेवा भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती पप्पू कंवर बेवा भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती सज्जन पत्नी अमरसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. उदयसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

7. सोहनसिंह पिता केसरसिंह जी राजपूत, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती कमला पुत्री प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती सन्तु पुत्री प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्रीमती सायरी पुत्री प्रताप जी जाट, निवासी देवरिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
दिनांक 30.01.2019, प्र॰ सं॰ 7/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1 से 7

———::———

निर्णय **दिनांक 23–12–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवरिया में आराजी नंबर 832 रकबा 0.3900 हैक्टर, 827 रकबा 0.2000 हैक्टर एवं 828 रकबा 0.1800 हैक्टर भूमियां स्थित होकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की हैं। प्रार्थी की आराजी नंबर 832 के पश्चिम में विपक्षीगण की आराजी न ंबर 860 रकबा 0.4100 हैक्टर स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी नंबर 860 की पूर्व दिशा की पाली से है, जिसके उपयोग वह अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन विपक्षीगा द्वारा माह अगस्त 2013 में थोहर की बाड़ लगाकर उक्त रास्ते को बन्द कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक

रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजी नंबर 860 के पूर्वी पाली के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर आराजी नंबर 832 तक 15 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करनी चाही, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–01–2019 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री चावण्डसिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि आराजी नंबर 831 एवं विपक्षीगण एवं पोखर, जमनालाल ब्राहमण जो कि आराजी नंबर 819, 821 से 828 व 832 के सहखातेदार होकर उपरोक्त वर्णित आराजीयात के सटमा 15 फिट रास्ता निकला हुआ है व आराजी नंबर 819 में 12 फीट लोहे की फाटक इन लोगों की लगी हुई है, जिससे वे आते–जाते हैं। आराजी नंबर 860 पर कभी भी रास्ता नहीं रहा है। गांव से शार्टकट (कम दूरी) को देखते हुए, नया रास्ता लेने के आशय से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना हमें सुने स्वीकार करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि आराजी नंबर 819 के लिए हमने रास्ता ही नहीं मांगा है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण की आराजी पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से उक्त रास्ते की मांग की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रार्थीगण की भूमि पर

आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण विपक्षीगण की आराजी नंबर 860 रकबा 0.4100 हैक्टर में से 0.0288 हैक्टर कीमतन रास्ता प्रार्थीगण को दिये जाने का आदेश दिया है, जो प्रस्तुत नक्शा ट्रेस एवं मौका पर्चा अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–01–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.01 15:09:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: